राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 229 /2014...जिला.......श्रीगंगानगर.................
उनवान–मैसर्स खण्डेलिया ऑयल एण्ड जनरल मिल्स, प्रा.लि., श्रीगंगानगर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2014	**खण्डपीठ** **श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **22.01.2014,** जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24(6) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 के नियम 35 के तहत् निर्धारण वर्ष 2007–08 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 30.10.2013 के जरिये कायम की गयी रिवर्स कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियां **रू0 10,93,597/– (अपीलीय आदेश में त्रुटि वश रू0 10,97,597/– अंकित है)** की वसूली पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने को विवादित कर सुनवायी के दौरान **रू0 10,93,597/–(अपीलीय आदेश में त्रुटि वश रू0 10,97,597/– अंकित है)** की बकाया मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री वी.के.पारीक एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा रोक आवेदन पत्र पर बहस हेतु दिनांक **06.03.2014** को उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन, उभयपक्षीय तर्कों पर विचार करने के पश्चात् यह पीठ यह अवधारित करती है कि **हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के समक्ष आलोच्य अवधि से संबंधित प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट व बिकी विवरणी प्रपत्रों में चाहे गये आगत कर के मुजरा राशि में अंतर होने पर, निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिक चाहे गये आगत कर की मुजरा राशि को रिवर्स करने का महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु अन्तवर्लित है । अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी व्यवहारी के** **लगातार...............2**	

10.03.2014	**पक्ष में प्रतीत होता है।** अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम मांग **रू0 10,93,597/—** की वसूली पर रोक लगायी जाती है एवम् अपीलार्थी व्यवहारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में **पर्याप्त जमानत** प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण का निस्तारण इस आदेश की तिथि से **दो माह** की अवधि में करना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया । 10.3.2014 **(मदन लाल)** **सदस्य** **(जे.आर.लोहिया)** **सदस्य** 10/03/14	